

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि०सं०-भवन/स्था०-०२-विविध-९३१/२०१६ (खण्ड)..... ७५६ (ख)/पटना, दिनांक- २५.१.१७

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ वास्तुविद् सेवा संवर्ग के निम्नांकित एसोसिएट वास्तुविद् को वरीय वास्तुविद् के पद पर वेतनमान पी०बी०-३ (१५,६००-३९,१००/-) एवं ग्रेड पे-७,६००/- में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें आर्थिक लाभ पद भार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्ष, २००७ का सहायक वास्तुविद् का वरीयता क्रमांक
१	२	३
१.	श्री मुक्ति प्रसाद	०३

२. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP (C) No.-२९७७०/२०१५, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

२५.१.१७

—(उमेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था०-०२-विविध-९४४/२०१६ ७५७ (ख) पटना, दिनांक- २५.१.१७
प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२५.१.१७

—सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था०-०२-विविध-९४४/२०१६ ७५७ (ख) पटना, दिनांक- २५.१.१७
प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार सजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

२५.१.१७

—सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था०-०२-विविध-९४४/२०१६ ७५७ (ख) पटना, दिनांक- २५.१.१७
प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता/ लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन कोषांग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित नव प्रोन्नत पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२५.१.१७

सरकार के संयुक्त सचिव।

२५.१.१७